

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी

मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, 30प्र0।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।
- 5- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन 30प्र0, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 19 जून, 2020

विषय: समस्त विभागों में शासकीय क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही करने के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि शासनादेश सं-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा समस्त शासकीय क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसा जानकारी में आया है कि कुछ विभागों द्वारा अभी भी येन-केन-प्रकारेण रेट कांट्रैक्ट अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से विभागों में विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति करायी जा रही है जो उपर्युक्त शासनादेश जारी होने के बाद से अनियमित प्रक्रिया है। शासनादेश के अनुसार अब समस्त क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना है जैसा कि शासनादेश में पूर्व में ही स्पष्ट किया गया है। यदि कोई वस्तु सामग्री, सेवा जेम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो पत्रावली पर विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष स्वयं प्रमाणित करेंगे कि वह वस्तु जेम पर उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रमाणीकरण के पश्चात ही वह सामग्री ई-टेण्डर के माध्यम से क्रय की जा सकेगी। वर्णित प्रक्रिया के इतर यदि कोई भी अन्य क्रय प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वह वितीय अनियमितता की श्रेणी में मानी जाएगी तथा तदनुसार शासन के संज्ञान में आने पर प्रभावी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश शासकीय वेबसाइट shasandesh.up.nic.in पर उपलब्ध हैं। उक्त प्रक्रिया का सम्यक अनुपालन कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जेम पोर्टल पर पंजीकरण अथवा क्रय के संबंध में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश GOTT-PMU का गठन किया गया है, जिसमें हर विभाग से एक-एक नोडल अधिकारी और टेक्निकल कर्मचारी जेम पोर्टल के कार्य के लिए नामित किया जाना आवश्यक है। अतः अनुरोध है कि कृपया उत्तर प्रदेश GOTT-PMU हेतु अपने-अपने विभाग के एक नोडल अधिकारी व एक टेक्निकल कर्मचारी नामित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी

मुख्य सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।